

कार्यालय : मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड
विश्वकर्मा भवन, प्रथम तल, सुभाष रोड़, सचिवालय परिसर, देहरादून-248001

फोन नं ०१३५) - २७१३७६०, २७१३५५१
फैक्स नं ०१३५) - २७१३७२४

संख्या: ३१६५ /XXV-(P-7)/ 2008
सेवा में,

देहरादून: दिनांक ०६ अक्टूबर, 2019.

लोक सूचना अधिकारी,
राज्य निर्वाचन आयोग,
उत्तराखण्ड।

विषय:- सूचना के अधिकार के अन्तर्गत चाही गयी सूचनाओं से संबंधित आवेदन पत्र का प्रेषण।

महोदय,

उपरोक्त विषयक श्री विक्रम सिंह जैन्तवाल ग्राम एवं पोस्ट, जैती, जिला अल्मोड़ा पिन-263626 के सूचना के अधिकार संबंधी प्रार्थना पत्र दिनांक शून्य पंजीकृत डाक द्वारा इस कार्यालय को प्राप्त हुआ है, जो आपके कार्यालय से संबंधित है। संबंधित सूचना के अधिकार संबंधी प्रार्थना पत्र (भारतीय पोस्टल आर्डर संख्या-44एफ 359136 रु० 10.00 सहित मूल में संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जा रहा है।

संलग्न-यथोपरि।

भवदीय,

(मस्तू दास)
सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
उत्तराखण्ड।

पृ० संख्या ३१६५ /XXV-12(1-5)/ 2008, तददिनांक।

प्रतिलिपि श्री विक्रम सिंह जैन्तवाल ग्राम एवं पोस्ट, जैती, जिला अल्मोड़ा पिन-263626 को सूचनार्थ प्रेषित।

(मस्तू दास)
सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
उत्तराखण्ड।

८
०५-१०-१९

सेवा में,

श्रीमान् लोक सूचना अधिकारी / शास्त्र निर्वाचन आयोग
देहरादून (उत्तराखण्ड)

विषय— सूचना के अधिकार अधिनियम २००५ के तहत निम्न
विषय पर सूचना द्वाने विषयक ।

विष्टु निम्न प्रकार हैं—

१. पंचायतों में आरक्षण की सूची जारी होने के बाद एक ग्राम
पंचायत से नाम काटकर दूसरी ग्राम पंचायत में नाम जोड़कर
ग्राम प्रधान का चुनाव लड़ा जा सकता है ?
२. ग्राम प्रधान के लिए उस ग्राम पंचायत का स्थाई वा
परिवार रजिस्टर में नाम होना जरूरी है या सिर्फ भलवाता
सूची में नाम होना ?
३. ग्राम पंचायत के शास्त्र के लिए ग्राम पंचायत सदस्यों का
होना जरूरी है ?
४. ग्राम पंचायत सदस्यों के विना प्रत्ताव पारित हो सकते हैं ?
भवाद्य जिन विदुकों पर सूचना भोगी तभी है सूचना 26
देने की कृपा करें

प्राची
/Smt

(विक्रम सिंह जौनवाल)
ग्राम वं पी. जौनवाल जौती
जिला - अल्मोड़ा

3626

हुआ

स्टल

केया

